

No. G-4(vi)/DJB/Dir.(A&P)/ Monsoon-2019/ **Unst. 63/CM-19**  
DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI  
OFFICE OF THE DIRECTOR (ADMN. & PERSONNEL)  
VARUNALAYA PHASE-II, KAROL BAGH, NEW DELHI – 110 005

Dated 21.08.2019

To

Shri Mahendra Gupta  
Dy. Secretary, (Question Branch),  
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,  
Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:- Vidhan Sabha Un-starred Question No. 63 due for  
22.08.2019 asked by Shri Om Prakash Sharma, MLA.**

Sir,

Please refer to letter No. F-11(B-1)VI/2015-20/V.S./QB/2144 dated 13.08.2019 received from Dy. Secretary (QB), Delhi Vidhan Sabha, Delhi Secretariat, Delhi on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with due approval of the competent authority.

Encl: As above.



(Paras Ram)

Director (Admn.& Personnel)

Tel. No. 23544794(O)

Email-id :- [djbdirector@gmail.com](mailto:djbdirector@gmail.com)

पारस राम / PARAS RAM

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)

Director (A&P)

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार

D.J.B., Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 63

दिनांक :- 22.08.2019

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री ओम प्रकाश शर्मा, विधायक

क्या मा. मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	मैला ढोने तथा हाथ से सफाई करने के काम की रोकथाम और इन्हें करने वाले कर्मचारियों के पुर्नवास से जुड़े पीईएमएसआर एक्ट, 2013 के अन्तर्गत सरकार क्या कार्रवाई कर रही है;	दिल्ली जल बोर्ड में हाथ से सीवर की सफाई पूर्णतया प्रतिबन्धित है। सीवर की सफाई का कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है।
(ख)	इस अधिनियम के अन्तर्गत सीवर साफ करते समय मृत्यु होने के कारण अब तक किस-किस अधिकारी तथा ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की गई;	दिल्ली जल बोर्ड सर्तकता विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिनांक 06.08.2017 को 03 प्राईवेट सीवर कर्मचारियों की मृत्यु सीवर मेन हॉल नजदीक संत कंवर राम मन्दिर जल विहार रोड़, लाजपत नगर, नई दिल्ली की सफाई करते हुए हो गई थी तथा इस केस में (1) श्री प्रीति पंत, अधिशासी अभियंता (सिविल) (2) श्री शिव हरी, सहायक अभियंता तथा (3) श्री सतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के विरुद्ध कठोर दण्ड के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा इस मामले में पुलिस ने भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304/177/218/467/468/471 तथा मैनुयल स्कवैजिंग एक्ट, 2013 की धारा 7/9 तथा एस. सी./एस.टी. एक्ट की धारा 3(1) के अन्तर्गत एफ.आई.आर. संख्या 354/2017 भी दर्ज कर ली है, जिसमें न्यायालय का आदेश अभी प्रतीक्षित है। ठेकेदार के विरुद्ध Contract Agreement के तहत कार्रवाई की जाती है।
(ग)	जल बोर्ड में कितने सफाई कर्मचारी हैं;	जल बोर्ड में कुल 149 सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।
(घ)	प्राईवेट क्षेत्र में कितने कर्मचारी हाथ से मैला ढोने तथा सफाई के काम में लगे हैं; और	दिल्ली जल बोर्ड में केवल बोर्ड में कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध है।
(ङ)	कम चोड़ी सड़कों तथा गलियों में सीवर की सफाई की क्या व्यवस्था है?	गलियों में सीवर की सफाई के लिए छोटी सीवर मशीन का उपयोग होता है।

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

पारस राम / PARAS RAM

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)

Director (A&P)

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार  
D.J.B., Govt. of NCT of Delhi